



झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची
JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI

वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, 2013 से संबंधित आवश्यक सूचना

विज्ञापित संख्या - 89/2012

एतद् द्वारा सभी कोटि के उच्च विद्यालयों के छात्र/छात्राओं, अभिभावकों तथा विद्यालय प्रधानों को सूचित किया जाता है कि वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, 2013 में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों के लिए भरे हुए परीक्षा आवेदन पत्र एवं शुल्क की प्राप्ति हेतु तिथि निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार निर्धारित की जाती है।

- वर्ष 2013 की माध्यमिक परीक्षा के लिए सादा परीक्षा आवेदन प्रपत्र का वितरण दिनांक 21.11.2012 से 27.11.2012 तक परिषद् कार्यालय, राँची, क्षेत्रीय कार्यालय, दुमका एवं प्रमण्डलीय कार्यालय, मेदिनीनगर से किया जायेगा।
- संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक के द्वारा अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के माध्यम से ही पूर्ण रूप से भरे हुए परीक्षा आवेदन प्रपत्र परिषद् कार्यालय में जमा करने की अवधि:-

प्रमण्डल का नाम	भरे हुए परीक्षा आवेदन प्रपत्र विद्यालय में जमा करने की तिथि		भरे हुए परीक्षा आवेदन प्रपत्र परिषद् में जमा करने की तिथि (संध्या 5:00 बजे तक)	
	बिना विलम्ब शुल्क के	विलम्ब शुल्क के साथ	बिना विलम्ब शुल्क के	विलम्ब शुल्क के साथ
संथाल परगना प्रमण्डल	07.12.2012 से 12.12.2012 तक	13.12.2012 से 19.12.2012 तक	13.12.2012 से 19.12.2012 तक	21.12.2012 से 24.12.2012 तक
दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल	07.12.2012 से 12.12.2012 तक	13.12.2012 से 19.12.2012 तक	13.12.2012 से 19.12.2012 तक	21.12.2012 से 24.12.2012 तक
पलामू प्रमण्डल	07.12.2012 से 12.12.2012 तक	13.12.2012 से 19.12.2012 तक	13.12.2012 से 19.12.2012 तक	21.12.2012 से 24.12.2012 तक
सिंहभूम (कोल्हान) प्रमण्डल	07.12.2012 से 12.12.2012 तक	13.12.2012 से 19.12.2012 तक	13.12.2012 से 19.12.2012 तक	21.12.2012 से 24.12.2012 तक
उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल	07.12.2012 से 12.12.2012 तक	14.12.2012 से 20.12.2012 तक	14.12.2012 से 20.12.2012 तक	21.12.2012 से 24.12.2012 तक

शुल्क की राशि का विवरण

- (क) परीक्षा आवेदन-प्रपत्र शुल्क: ₹ 50.00 प्रति आवेदन-प्रपत्र। (ख) परीक्षा शुल्क: ₹ 100.00 प्रति छात्र।
(ग) लोकल लेवी: ₹ 190.00 प्रति छात्र। (घ) अंक पत्र शुल्क: ₹ 60.00 प्रति छात्र।
(ङ) परीक्षा विविध शुल्क: ₹ 20.00 प्रति छात्र। (च) परीक्षा विलम्ब शुल्क (एक मुश्त): ₹ 200.00 प्रति छात्र।
(छ) औपबधिक प्रमाण पत्र एवं प्रव्रजन पत्र: ₹ 70.00 प्रति छात्र। (पूर्ववर्ती छात्र/छात्रा को शुल्क देय नहीं होगा।)

समुन्नत परीक्षा शुल्क की राशि का विवरण

- (क) परीक्षा शुल्क: ₹ 300.00 प्रति छात्र। (ख) अनुमति शुल्क: ₹ 150.00 प्रति छात्र।
(ग) परीक्षा प्रपत्र शुल्क: ₹ 40.00 प्रति छात्र। (घ) विलम्ब शुल्क (एक मुश्त): ₹ 200.00 प्रति छात्र।
- शुल्क, बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से "झारखण्ड एकेडमिक काँसिल फण्ड" के नाम से राँची, दुमका एवं डाल्टेनगंज में भुगतये होगा।
 - समुन्नत परीक्षा के आवेदन पत्र के ऊपर समुन्नत लिखकर विद्यालय प्रधान अलग डाटा के साथ जमा करेंगे।
 - डाक द्वारा प्राप्त आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिए जायेंगे।
 - परीक्षा आवेदन पत्र भरने के संबंध में एक आवश्यक निर्देश की प्रति भी परीक्षा आवेदन पत्र के साथ प्राप्त करेंगे तदनुसार ही परीक्षा आवेदन पत्र भरें।
 - राजकीय/राजकीयकृत विद्यालय, सरकार द्वारा स्थापित 1981-82 चरण के प्रोजेक्ट उच्च विद्यालय, सरकार द्वारा सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक उच्च विद्यालय, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त 1984-85 के प्रोजेक्ट उच्च विद्यालय, सरकार द्वारा उत्क्रमित उच्च विद्यालय, कस्तुरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालय के नियमित छात्राओं का परीक्षा शुल्क ₹ 100.00 (एक सौ रुपये) देय नहीं होगा।
 - अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं को जाति प्रमाण पत्र मूल प्रति एवं पिछड़ी जाति एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत आनेवाले परीक्षार्थियों, जिनकी पारिवारिक आय अधिकतम ₹6,000.00 (छ: हजार रुपये) प्रतिवर्ष है, को जाति एवं आय प्रमाण पत्र की मूल प्रति जमा करने पर उन्हें परीक्षा शुल्क ₹100.00 देय नहीं होगा।
 - बिना पंजीयन तथा 01.03.1999 के बाद की जन्मतिथि वाले छात्रों के आवेदन पत्र यदि भरा जाता है तो उसे रद्द कर दिया जायेगा। वर्ष 2010 के पूर्व के पंजीकृत छात्र/छात्रा, जिनके तीन वर्ष की सूचीकरण अवधि समाप्त हो गयी है, उसके लिए परीक्षा आवेदन पत्र के साथ सूचीकरण प्रपत्र शुल्क (₹50/-) एवं सूचीकरण शुल्क (₹75/-) कुल ₹125/- प्रति परीक्षार्थी अलग ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करना होगा। परीक्षा शुल्क सामान्य छात्र/छात्रा के अनुसार ही देय होगा तथा पंजीयन आवेदन प्रपत्र के साथ पूर्व में निर्गत सूचीकरण स्लीप की मूल प्रति अवश्य संलग्न किया जाय अन्यथा इसे रद्द कर दिया जायेगा।
 - वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, 2013 के सभी विद्यालयों को उनके विद्यालय से संबंधित पंजीकृत छात्र/छात्राओं को समेकित सूची (Consolidated list) तीन प्रतियों में उपलब्ध करायी जा रही है, जिसमें एक प्रति में छात्र/छात्राओं का फोटो, विषय एवं अन्य विवरणी दिये गये हैं। विद्यालय प्रधान इन समेकित सूची में अंकित छात्र/छात्रा का नाम, माता का नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, कोटि एवं विषयों की जाँच भलीभाँति कर लेंगे। यदि अब भी इसमें कोई त्रुटि रह गई हो तो उसे संशोधित कर देंगे एवं दो प्रतियों, एक फोटो एवं एक बिना फोटो के प्रति, को फार्म के साथ जमा करेंगे। विद्यालय को यह भी निर्देश दिया जाता है कि यह सूची पूर्ण रूपेण त्रुटिहीन रहे क्योंकि प्रवेश पत्र निर्गत के उपरान्त किसी प्रकार का संशोधन मान्य नहीं होगा। परीक्षा फार्म भरने संबंधी एक आवश्यक निर्देश परीक्षा फार्म एवं प्रपत्र के साथ दिये जा रहे हैं। जिसमें वर्णित निर्देश के आलोक में ही परीक्षा आवेदन पत्र एवं पंजीयन समेकित सूची (Consolidated list) को भरकर परिषद् कार्यालय में निर्धारित तिथि को जमा करेंगे। जिन छात्र/छात्राओं द्वारा परीक्षा आवेदन पत्र नहीं भरा गया, उनके सामने Delete लिखकर हस्ताक्षर एवं मुहर लगा देंगे। विद्यालय द्वारा पंजीयन समेकित सूची को लौटाना आवश्यक है। मुद्रित Consolidated list में किसी छात्र का नाम हाथ से नहीं जोड़ना है तथा वैसे छात्र/छात्रा, जिन्होंने गत वर्ष पंजीयन कराया परन्तु परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुए हैं, का फार्म तथा वर्णानुक्रम सूची पूर्ववर्ती छात्र/छात्राओं के साथ संलग्न करेंगे।
 - पूर्ववर्ती छात्र/छात्राओं का फार्म एवं समुन्नत (Improvement) से संबंधित छात्र/छात्राओं का आवेदन पत्र एवं वर्णानुक्रम सूची (Consolidated list) बिल्कुल अलग-अलग भरेंगे। किसी भी तरह इसे नियमित एवं स्वतंत्र छात्र/छात्राओं के साथ नहीं जोड़ेंगे, अन्यथा पूर्ववर्ती एवं समुन्नत के छात्र/छात्राओं का परीक्षाफल प्रभावित होता है तो इसकी पूर्ण जिम्मेवारी संबंधित परीक्षार्थी की होगी।

समुन्नत परीक्षा के संबंध में विनियम (Regulation) निम्न प्रकार है जिसके अनुसार ही परीक्षा में सम्मिलित होंगे।

Improvement of Performance

- A candidate who has passed an examination of the Council may re-appear for improvement of performance in one or more subjects in the main examination in the succeeding year only. He will appear as a private candidate with his original registration number of the Council.
- Those re-appearing for the whole examination may, however, appear as regular candidates also, if admitted by the School/+2/Intermediate College as regular student.
- A candidate appearing for improvement in subject(s) involving practical shall appear only in theory and previous practical marks shall be carried forward and accounted for.
- A candidate appearing for improvement of performance shall be issued only Statement of marks reflecting the marks obtained at the improvement examination in the subject(s).

N.B. : Improvement examination can not be given for any subject in which the candidate had failed.

- पूर्ववर्ती छात्र/छात्राओं का पंजीयन विद्यालय प्रधान द्वारा जाँच कर लिया जाय कि पंजीयन सही है। पंजीयन जाली पाए जाने पर छात्र एवं विद्यालय प्रधान दोनों पर अनुशासनिक कारवाई की जाएगी।

नोट:- 1) संथाल परगना प्रमण्डल के सादा आवेदन पत्र प्राप्ति एवं जमा क्षेत्रीय कार्यालय, दुमका तथा पलामू प्रमण्डल के सादा आवेदन पत्र प्राप्ति एवं जमा प्रमण्डलीय कार्यालय, मेदिनीनगर में होगी।

2) Consolidated Statement के साथ एक निर्देश पत्र एवं Format दिया जा रहा है जिसमें Format में Delete क्रम संख्या अंकित कर कुल Delete संख्या लिखकर प्रधानाध्यापक हस्ताक्षर एवं मुहर लगाकर परीक्षा आवेदन पत्र भरने के अंतिम तिथि को एक प्रति फोटो सहित एवं एक प्रति फोटो रहित Consolidated को अनिवार्य रूप से जमा कर देंगे।

अध्यक्ष के आदेश से,

ह./-

(सुशील कुमार राय)

सचिव,

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची।

JAC/मा./5382/10/SECY/556/12 Dt. 10.11.12

D.O.P : 11.11.12